



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48224

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - बी संख्या - 677/2026**

आशा राम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : श्री प्रकाश द्विवेदी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

**न्यायालय संख्या - 54**

**माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक**

1. यह रिट याचिका चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा दिनांक 14.01.2026 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है। इस आदेश के तहत, वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से यू.पी.सी.एच अधिनियम की धारा 5(1)(सी) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है कि विवादित भूमि, यू.पी.सी.एच अधिनियम की धारा 3(5) के अंतर्गत परिभाषित 'भूमि' की श्रेणी में नहीं आती है।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस रिट याचिका की पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है। उन्होंने यह आपत्ति इस आधार पर की है कि याचिकाकर्ता के पास चकबंदी उप निदेशक (संक्षेप में 'डी.डी.सी') के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क का खंडन नहीं किया है।

4. अतः, यह रिट याचिका इस आधार पर **खारिज** की जाती है कि याचिकाकर्ता के पास यू.पी.सी.एच अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत डी.डी.सी के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

10 मार्च, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”